दिनांक- 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 51/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक परेड का निरीक्षण, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं पर विशेष जोर

आज मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वंदना सिंह द्वारा पुलिस लाइन, महोबा में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात उनके द्वारा परेड का विधिवत निरीक्षण किया गया तथा पुलिस कर्मियों से सुदृढ़, सुसंगठित एवं अनुशासित परेड कराई गई।

परेड के दौरान उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सदैव सक्षम रहने हेतु प्रेरित किया तथा इसी क्रम में जवानों की दौड़ भी कराई गई, जिससे उनमें कार्य के प्रति उत्साह एवं ऊर्जा का संचार बना रहे।

परेड उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण करते हुए परिवहन शाखा, मेस, कैंटीन एवं आरओ प्लांट का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की गुणवत्ता का आंकलन करते हुए संबंधित प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त क्वार्टर गार्ड एवं आदेश कक्ष का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों/रजिस्टरों का बारीकी से अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को उच्च कोटि का अनुशासन बनाए रखने, कर्तव्य के प्रति सजग रहने तथा बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

दिनांक- 12.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 52/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस ने 02 वाछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम, उपनिरीक्षक सनय कुमार मय हमराह हे0का0 विजय सिंह द्वारा क्षेत्र भ्रमण, विवेचना मर्जुआत, लबित विवेचनाओं के निस्तारण एवं वाछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मु0अ0सं0 49/26 धारा 108 बीएनएस से संबंधित 02 नफर वाछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. कृष्णा उर्फ कृष्णकान्त पुत्र जयपाल, उम्र करीब 24 वर्ष तथा 2. जयपाल पुत्र परशुराम, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासीगण ग्राम बंगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को स्योढ़ी तिगैला थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्तगण को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. कृष्णा उर्फ कृष्णकान्त पुत्र जयपाल, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी हमीरपुर
2. जयपाल पुत्र परशुराम, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सनय कुमार, चौकी प्रभारी नगाराघाट थाना पनवाड़ी महोबा
2. हे0का0 विजय सिंह 3. का0 उमेश कुमार

दिनांक- 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 53/26

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी/ थाना-खरेला

थाना खरेला पुलिस ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शंशाक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के दिशा-निर्देशन में थाना खरेला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्राम बरायं में दिनांक 10.05.2026 को उक्त प्रकरण में वादी रोहित गोस्वामी के साथ अभियुक्तगण द्वारा घर के बाहर अचानक लाठी-डंडों से मारपीट की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

उक्त घटना के संबंध में थाना खरेला पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 109(1), 115(2), 351(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12.05.2026 को अभियुक्तगण 1. रामचन्द्र यादव उर्फ रामबरन पुत्र स्व0 टेरा यादव उम्र करीब 46 वर्ष तथा 2. तेहा यादव पुत्र स्व0 टेरा यादव उम्र करीब 42 वर्ष, निवासीगण ग्राम बरायं थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. रामचन्द्र यादव उर्फ रामबरन पुत्र स्व0 टेरा यादव, निवासी ग्राम बरायं थाना खरेला जनपद महोबा
2. तेहा यादव पुत्र स्व0 टेरा यादव, निवासी ग्राम बरायं थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह, थाना खरेला जनपद महोबा
2. का0 आशीष पाल, थाना खरेला जनपद महोबा
3. रि0का0 प्रांजल दूबे, थाना खरेला जनपद महोबा

दिनांक- 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 54/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालकों के साथ सुरक्षा संबंधी गोष्ठी, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 12.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह की उपस्थिति में जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने सभी संचालकों से उनकी समस्याओं एवं सुझावों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सभी पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों पर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं तथा उनका नियमित रूप से संचालन एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। रात्रि के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखी जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

इसके अतिरिक्त कैश के सुरक्षित प्रबंधन, कर्मचारियों के सत्यापन, आपातकालीन नंबरों की उपलब्धता एवं किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को देने के संबंध में भी विस्तार से निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधों की रोकथाम में प्रभावी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सभी संचालकों को आश्वस्त किया कि महोबा पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है तथा किसी भी समस्या के समाधान हेतु पुलिस प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

गोष्ठी के अंत में उपस्थित संचालकों द्वारा अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिन पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

दिनांक- 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 55/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर/ थाना-कबरई

महोबा पुलिस की मुस्तैदी रंग लाई, 13 वर्षीय अपहृता बालिका सकुशल बरामद।

आज दिनांक 12.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुमशुदा/अपहृत बालिकाओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के दिशा-निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 87/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अपहृता 13 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद किया गया।

प्रकरण में अपहृता पूनम कुशवाहा पुत्री महेश कुशवाहा, निवासी मोहल्ला रानी लक्ष्मीबाई नगर, कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में उ0नि0 श्री अनूप पाण्डेय, रि0आ0 अजीत यादव एवं म0का0 अनामिका देवी की टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपहृता को बांदा तिराहा स्थित यात्री प्रतीक्षालय, कस्बा कबरई से सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी के उपरांत बालिका को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा उसे आवश्यक सहायता एवं काउंसलिंग हेतु वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है।

महोबा पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही से यह पुनः सिद्ध होता है कि जनपद पुलिस आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 श्री अनूप पाण्डेय
2. रि0आ0 अजीत यादव
3. म0का0 अनामिका देवी